

कॉन्ट्रोल नंबर 1516036 दिनांक 28-08-2015
पत्र संख्या-सी0सी0टी0निरी0अनु0/(-2014-15)/अ0क0नि0आदेश/ 430

/वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश :

(निरीक्षण अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक :: 28 अगस्त, 2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर

समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक)

वाणिज्य कर -उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय द्वारा पूर्व में जारी कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1415005 दिनांक 24.04.2014 तथा परिपत्र संख्या सी0सी0टी0निरी0अनु0/2014-15/अ0क0नि0आदेश/51/ वाणिज्य कर /लखनऊ / दिनांक 24 अप्रैल, 2014 से यह निर्देश दिये गये थे कि कर निर्धारण कार्य में कार्यरत डिप्टी कमिशनर/ असिस्टेंट कमिशनर/ वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा वर्ष 2013-14 में पारित 05 सबसे अच्छे कर निर्धारण आदेशों तथा वर्ष 2014-15 में प्रत्येक त्रैमास में पारित दो सबसे अच्छे कर निर्धारण आदेशों की समीक्षा टिप्पणी इसके विवरणों सहित आन लाइन अंकित करने का कार्य संबंधित संभाग के ज्वाइन्ट कमिशनर(कार्यपालक)द्वारा किया जाएगा तथा ज्वाइन्ट कमिशनर (कारपोरेट सर्किल) के द्वारा वर्ष 2013-14 में पारित 05 सबसे अच्छे कर निर्धारण आदेशों तथा वर्ष 2014-15 में प्रत्येक त्रैमास में पारित दो सबसे अच्छे कर निर्धारण आदेशों की समीक्षा टिप्पणी इनके विवरणों सहित विभागीय वेबसाइट पर आन लाइन अंकित करने का कार्य जोनल एडीशनल कमिशनर द्वारा किया जाएगा ।

उक्त प्रकरण में अच्छे पारित कर निर्धारण आदेशों के संबंध में समीक्षा टिप्पणी तथा विवरण आन लाइन अंकित करते हेतु आई समस्याओं के निराकरण हेतु विभागीय वेबसाइट comtax.up.nic.in पर NIC द्वारा Best Assessment Module को Assessment Module से link कराये जाने के सम्बन्ध में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

उक्त के क्रम में अब निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

- 1- सर्व प्रथम विभागीय वेबसाइट पर Department Service के अन्तर्गत Best Assessment Analysis System पर Click किया जायेगा ।
- 2- इसके पश्चात Zone, लोकेशन का Drop down से चयन करके User ID तथा Password के द्वारा login किया जायेगा ।
- 3- login करने के पश्चात Menu में उपलब्ध RC & Assessment Link के अन्तर्गत Best Assessment लिंक पर click किया जायेगा ।
- 4- इसके पश्चात उपलब्ध स्क्रीन में चयनित आदेश की संख्या अंकित की जायेगी । आदेश अंकित करते ही टिन , फर्म का नाम , कार्यालय, कर निर्धारण वर्ष, कर निर्धारण अधिकारी का नाम, पद नाम , कर निर्धारण आदेश का दिनांक, अतिरिक्त डिमाण्ड, Total Sales Tax , Total Fix Tax स्वतः ही अंकित हो जायेगा ।

(2)

- 5- इसके पश्चात Comments की field में आदेश से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दु अंकित किये जायेंगे। आवश्यकतानुसार View Order पर click करके सम्बन्धित आदेश भी सुलभ साधन हेतु उपलब्ध हो जायेगा।
- 6- Comments अंकित करने के पश्चात SUBMIT बटन पर click करने पर अंकित आदेश का विवरण Screen पर ग्रिड में उपलब्ध हो जायेगा। इसी प्रकार 5 Best Assessment Orders का अंकन किया जायेगा।
- 7- यदि किसी Order को delete करना है तो ग्रिड में उपलब्ध delete के बटन पर click करके Order को delete किया जा सकता है।
- 8- अंकित आदेशों की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये View MIS Report पर click करके MIS Report प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत यह निर्देश दिये जाते हैं कि कर निर्धारण कार्य में कार्यरत डिप्टी कमिशनर/ असिस्टेंट कमिशनर/ वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा वर्ष 2014-15 में पारित 05 सबसे अच्छे कर निर्धारण आदेशों को तथा वर्ष 2015-16 में प्रत्येक त्रैमास में पारित दो सबसे अच्छे कर निर्धारण आदेशों की समीक्षा टिप्पणी इसके विवरणों सहित आन लाइन अंकित करने का कार्य संबंधित संभाग के ज्वाइन्ट कमिशनर(कार्यपालक)द्वारा किया जाएगा तथा ज्वाइन्ट कमिशनर (कारपोरेट सर्किल) के द्वारा वर्ष 2014-15 में पारित 05 सबसे अच्छे कर निर्धारण आदेशों को तथा वर्ष 2015-16 में प्रत्येक त्रैमास में पारित दो सबसे अच्छे कर निर्धारण आदेशों की समीक्षा टिप्पणी इनके विवरणों सहित विभागीय वेबसाइट पर आन लाइन अंकित करने का कार्य जोनल एडीशनल कमिशनर द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के प्रथम त्रैमास में अच्छे कर निर्धारण आदेशों की समीक्षा टिप्पणी तथा विवरण अपलोड किये जाने का कार्य दिनांक 30.09.2015 तक तथा वर्ष 2015-16 में शेष त्रैमास सम्बन्धित कार्यवाही त्रैमास की समाप्ति पर उसके अनुवर्ती माह के अंतिम तिथि तक प्रत्येक दशा में निष्पादित कर लिया जाए। अच्छे कर निर्धारण आदेशों के चयन सम्बन्धी कार्यवाही पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप सम्पन्न की जाएगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए।


27/08/15
(मुकेश कुमार मिश्रा)
कमिशनर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।